संख्या-37/2023/I/289809/2023/002-71-2099-964-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में के0जी0एम0यू0, लखनऊ के आई0डी0एच0 ब्लाक में सेन्टर फार आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज के निर्माण प्रायोजना हेतु चतुर्थ किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14503/योजना अनु0/2023, दिनांक 14.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में के0जी0एम0यू0 के आई0डी0एच0 ब्लाक में सेन्टर फार आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज के निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-7/2020/66/71-2-2020 के0जी0एम0यू0-70/2017, दिनांक 15.01.2020 के द्वारा उक्त प्रायोजना हेतु धनराशि 'रू0 8610.94 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय)' की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 1500.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-39/2021/462/71-2-2021 के0जी0एम0यू0-70/2017, दिनांक 26.03.2021 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 1500.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-120/2021/I/110206/2021-71-2099/964/2021, दिनांक 29.10.2021 द्वारा तृतीय किस्त की धनराशि रू0 3458.1535 लाख अवमुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। इस प्रकार अनुमोदित लागत के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से धनराशि रू0 6458.1535 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 मे प्रश्नगत प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 15.01.2020 द्वारा प्रदान की गयी धनराशि 'रू0 8610.94 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय)' की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में अनुदान संख्या-31 से रू0 1360.57 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से रू0 361.67 लाख अर्थात रू0 1722.24 लाख (रूपया सत्रह करोड़ बाईस लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित कर किसी बैंक/डाकघर इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रायोजना हेतु मूल शासनादेश के सुसंगत शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।
4. विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
5. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/ महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा ।
6. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव/कुलपति की होगी।
7. प्रयोजनान्तर्गत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल इत्यादि व्यय-वित्त समिति/शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्तावित पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में व्यय वित्त समिति की संस्तुतियों/दिशा-निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य् योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
10. विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्थाक द्वारा प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजना के लिये नहीं किया जायेगा तथा व्यय, स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
12. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/ महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
14. पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-7/2020/66/71-2-2020 के0जी0एम0यू0-70/2017, दिनांक 15.01.2020 की शर्तो/ प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
16. वित्त विभाग के वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
17. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 13,60,57,000 (रुपये तेरह करोड़ साठ लाख सत्तावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 3,61,67,000 (रुपये तीन करोड़ इकसठ लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-37/2023/1/289809/2023/002-71-2099-964-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा, विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7) प्रबन्ध निदेशक/अपर परियोजना प्रबन्धक सी0 एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0, लखनऊ
8) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

http://s

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।